



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिणियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 17 अगस्त, 2021

श्रावण 26, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
मत्स्य उत्पादन अनुभाग

संख्या 895 / सत्रह-म-2021-6-9(32)-2017
लखनऊ, 17 अगस्त, 2021

अधिसूचना
प्रकीर्ण

प0आ0-271

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग अराजपत्रित सेवा (लघु दण्ड अधिरोपण) नियमावली, 1973 का विखण्डन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग अराजपत्रित सेवा (लघु दण्ड अधिरोपण)
(विखण्डन) नियमावली, 2021

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग अराजपत्रित सेवा (लघु दण्ड अधिरोपण) (विखण्डन) नियमावली, 2021 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2)-यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में- परिभाषाएं

(क) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ख) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ग) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है।

विखण्डन और
व्यावृत्ति

3—इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल द्वारा बनायी गयी "उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग अराजपत्रित सेवा (लघु दण्ड अधिरोपण) नियमावली, 1973" एतद्वारा विखण्डित की जाती है।

आज्ञा से,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 895/XVII-ma-2021-6-9(32)-2017 dated August 17, 2021:

No. 895/XVII-ma-2021-6-9(32)-2017
Dated Lucknow, August 17, 2021

IN exercise of powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to rescinding the Uttar Pradesh fisheries Department Non-Gazetted Services (Imposition of Minor Punishments) Rules, 1973.

THE UTTAR PRADESH FISHERIES DEPARTMENT NON-GAZETTED SERVICES
(IMPOSITION OF MINOR PUNISHMENTS) (RESCISSION) RULES, 2021

Short title and
commencement

1. (1) These rules may be called The Uttar Pradesh Fisheries Department Non-Gazetted Services (Imposition of Minor Punishments) (Rescission) Rules, 2021.
(2) They shall come into force at once.

Definitions

2. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:
(a) "Constitution" means the Constitution of India;
(b) "Government" means the Government of Uttar Pradesh;
(c) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh.

Rescission and
saving

3. The Uttar Pradesh Fisheries Department Non-Gazetted Services (Imposition of Minor Punishments) Rules, 1973, made by the Governor in exercise of the powers under the proviso to Article 309 of the Constitution on prior to commencement of these rules are hereby rescinded.

By order,
SUDHIR GARG,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 241 राजपत्र-2021-(552)-599 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 2 सा० मत्स्य उत्पादन-2021-(553)-200 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

